

2011/00153 उदापचर 1/5 मातीलान

14/5/15 प्राथी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/
अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रफ्त
करने हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रकरण
लोक अदालत में रफ्त किया जाता है। पक्षकारान
दिनांक 15/7/15 को लोक अदालत के समक्ष
उपस्थित रहें।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

15/7/15 पक्षकारान उप./अनु/वकील प्राथी/अप्राथी
उप./अनु/ पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई।
पक्षकारान को समझाईश की गई, परन्तु राजीनामा
नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में
वापस लौटाई जाकर दिनांक 9/9/15 को पेश हो।

frutanehals

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

केपली (अप)
अप्राथी
नेमी-4-

9/9/15 वक. फरी.उप./पी.ओ. साहव...^{3/10/15} पधारें हैं। अतः पत्रावली
वास्तं पूर्व नियत कार्यवाही हेतु दि. 4/11/15... को पेश हो।

4/11/15 वकील प्राथी हाजिर। अक्षय-वास्तं है एव अन्तिम अक्षर फौर दिना
जाना है पत्रावली वास्तं 11 हेतु दिनांक 20/11/15 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

30/11/15 M.L.A अनुसुकाई खरक
वक. फरी.उप./पी.ओ. साहव... पधारें हैं। अतः पत्रावली
वास्तं पूर्व नियत कार्यवाही हेतु दि. 17/2/16... का पेश हो।

17/2/16 वकील वादी एम. रमन वादी गण अनुपस्थित। अतिवादी सख्या 12,5,7
की फौर है वाद है भी पुरेशा प्रमाण है अतः रेकॉर्ड ली। व वकील वादी एम
वादी गण को 5 वेज अवलल उठे तब आवाजे दिलाई गई परन्तु
वादी गण की फौर से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया अतः अक्षर
अक्षर हाजिरी अक्षर पेशी में रखा रिज किया जाता है। पत्रावली फौर
शुमार हेक्टर नम्बर से भुग हो। वाद लक्ष्मील फौर डाकिल है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

